

न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी—कैलाश चन्द मीना, आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन क्लेम प्रार्थना पत्र संख्या 02/2020

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. तारादेवी पत्नी लालुराम भाटिया
2. गैरी देवी पत्नी दानाराम भाटिया
3. इंद्रा देवी पत्नी पुखराज भाटिया

(सभी जातियान घांची, निवासी
पिण्डवाडा, तहसील पिण्डवाडा,
जिला सिरौही)

1. सचिव रेल मंत्रालय, भारत
गणराज्य दिल्ली
2. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय)
रेलवे भवन, नई दिल्ली
3. प्रबंध निदेशक, डेडिकेटेड फंट
कोरिडोर कॉर्पोरेशन, पांचवी
मंजिल, मेट्रो स्टेशन परिसर,
प्रगति मैदान नई दिल्ली
4. मुख्य परियोजना प्रबंधक,
डेडिकेटेड फंट कोरिडोर ऑफ
इंडिया लिमिटेड (भारत सरकार
का उपकम), 42 ए/3, सिविल
लाइंस, अजमेर
5. सक्षम प्राधिकारी एवं उपखंड
अधिकारी, पिण्डवाडा, जिला
सिरौही (राज०)



क्लेम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 20च के खण्ड 6 रेल अधिनियम 1989, संशोधित अधिनियम 2008, सपठित प्रावधान अन्तर्गत मध्यस्थता अधिनियम 1996, विरुद्ध सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला सिरौही द्वारा विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फंट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु तहसील पिण्डवाडा के ग्राम पिण्डवाडा 1 में भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अभिनिर्णय (अवार्ड) क्रमांक 864-65 दिनांक 31.05.2018 के विरुद्ध ग्रीवेन्स/आपत्ति/क्षुब्धता एवं क्लेम

उपस्थिति -

1. श्री अनीष अहमद, वकील प्रार्थी
2. श्री शंकर चौहान अप्रार्थी सं० 1 से 4 की ओर से उपस्थित
3. अप्रार्थी सं० 5 स्वयं

निर्णय

दिनांक 12.07.2023

प्रस्तुत क्लेम/आपत्ति के मुख्य तथ्य इस प्रकार से हैं कि सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा, जिला सिरौही द्वारा विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी डेडीकेटेड फंट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन हेतु तहसील पिण्डवाडा के ग्राम पिण्डवाडा-
के विभिन्न खसरों की भूमि का अधिग्रहण हेतु कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 1.4790 हैक्टर का

डिवीजनल कमिश्नर
जोधपुर

भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 के अन्तर्गत धारा 20ए, 20ए(4), 20ई(1), 20एफ(4) के तहत रेल मंत्रालय की अधिसूचनाओं का भारत के राजपत्र में प्रकाशन के उपरांत स्थानीय समाचार पत्रों में करवाया गया। प्रस्तावित भूमि का अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा द्वारा समस्त विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर, अभिनिर्णय (अवार्ड) क्रमांक 864-65 दिनांक 31.05.2018 जारी किया गया। जिसमें प्रार्थीयागण की खसरा नं० 1802 में से 0.1937 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि (सड़क से 101 से 500 मीटर तक) एवं खसरा नं० 1803 में से 0.1583 हैक्टेयर सिंचित कृषि भूमि (सड़क से 101 से 500 मीटर तक) का अधिग्रहण डीएलसी दर 26,46,300/-रूपये प्रति हैक्टेयर की दर से, भूमि की प्रतिकर राशि कमशः 10,69,834/-रूपये एवं 8,74,315/-रूपये (भागीदारी हिस्सा 1/3) अभिनिर्णित किया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड से तय किए गये मुआवजे से व्यथित होकर प्रार्थीयागण ने उक्त क्लेम रेलवे अधिनियम, 1996 की धारा 20(च) के खंड 6 के तहत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है।

बहस सुनी गई। दौरान बहस प्रार्थीयागण के अधिवक्ता ने अपनी क्षुब्धता/क्लेम में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यरूप से यह निवेदन किया कि -

1. प्रार्थीयागण की ग्राम पिण्डवाडा (सिरोही) के खसरा नं० 1802 में कुल 1.17 बीघा एवं खसरा नं० 1803 में कुल 1.15 बीघा खातेदारी सिंचित कृषि भूमि स्थित है, जो कि उसके जीवन यापन का साधन है।
2. भारतीय रेलवे अधिनियम, 2008 (संशोधित) की धारा 20ए की अधिसूचना 24.08.2017, राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 28.08.2017 एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 08.09.2017 के उपरांत रेलवे अधिनियम की धारा 20इ की अधिसूचना दिनांक 15.02.2018 का राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.02.2018 एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन दिनांक 28.02.2018 को हुआ। जिनके माध्यम से प्रार्थीयागण के उल्लेखित खसरा नं० 1802 में से 0.1937 हैक्टेयर एवं खसरा नं० 1803 में से 0.1583 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिग्रहण योग्य भूमियों के खातेदारों से आमंत्रित दावों/आपत्तियों के क्रम में प्रार्थी ने भी भिन्न-भिन्न मदों में मुआवजे हेतु दावा/आपत्ति प्रस्तुत की गई। जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थी के दावे को दरकिनार करते हुए मनमाने रूप से अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 को जारी कर, प्रार्थी के पक्ष में कमशः मात्र 10,69,834/-रूपये एवं 8,74,315/-रूपये का मुआवजा पारित किया गया।
3. प्रार्थीयागण की भूमि नगरपालिका पिण्डवाडा के मास्टर प्लान में आवासीय क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त भूमि के पास राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी स्थित है। इस



डिविजनल कमिश्नर
जायपुर

कारण प्रार्थीयागण अपनी भूमि का मुआवजा आवासीय दर से प्राप्त करने की अधिकारी है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीयागण की भूमि के निकटस्थ भूमियों की रजिस्टर्ड बेचाननामों से प्रार्थीयागण की भूमि की प्रकृति आवासीय प्रकट है। प्रार्थीयागण द्वारा अपनी भूमि के आवासीय उपयोग हेतु रूपांतरण के लिए नगरपालिका पिण्डवाड़ा में वर्ष 2016 में आवेदन किया था, जिसमें न०पा० द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 12.10.2016 को लोक सूचना जारी कर, इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रदूत जालोर संस्करण में दिनांक 26.10.2016 किया गया। प्रार्थीयागण के उल्लेखित खसरान की भूमि के मध्य में से अवाप्तशुदा भूमि के कारण सम्पूर्ण भूमि अनुपयोगी हो गई है, क्योंकि रेलवे लाईन के समीप होने के कारण वह शेष भूमि का उपयोग करने में असमर्थ हो गये। अतः प्रार्थीयागण की अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा की बजाय ख०न० 1802 की संपूर्ण 1.17 बीघा भूमि (4681 वर्गमीटर—यानि 50366.25 वर्गफीट) एवं ख०न० 1803 की संपूर्ण 1.15 बीघा भूमि (4428 वर्गमीटर—यानि 47644 वर्गफीट) का प्रारंभिक अधिसूचना प्रकाशन की तिथि को प्रचलित बाजार दर 904/—रूपये प्रति वर्गफीट के अनुसार कमशः 4,55,31,090/—रूपये एवं 4,30,70,176/—रूपये बनता है। जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं दिया गया।

4. उक्त अवाप्ति की कार्यवाही भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के लागू होने के उपरांत की गई है, अतः इसके तहत प्रार्थी को मुआवजा नहीं दिया गया है। जबकि नवीन अवाप्ति कानून 2013 के तहत प्रार्थी को भूमि की कीमत के समतुल्य 100 प्रतिशत राशि का तोषण, प्रार्थी प्रभावित कुटुंब होने से अधिनिर्णय की तारीख से 1 वर्ष के लिए 3000/—रूपये प्रतिमाह जीवन यापन हेतु अनुदान, 50,000/—रूपये विस्थापन परिवहन राशि, पुनर्स्थापन के लिए एक बारगी 50,000/—रूपये, खड़ी फसल और पेड़ों के मुआवजे की मद में 10,00,000/—रूपये तथा संपूर्ण मुआवजे की राशि पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथि से भुगतान तक 12 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की रकम का भुगतान किया जाना चाहिए था।
5. अतः प्रार्थीयागण को निम्न प्रकार से उपयुक्त मुआवजा दिलाने का आग्रह किया गया :-

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये)
1	भूमि की कीमत खसरा नं० 1802—भूमि की कुल कीमत—4,55,31,090 खसरा नं० 1803—भूमि की कुल कीमत—4,30,70,176 ----- दोनों खसरों की भूमि की कुल कीमत—8,86,01,266	8,86,01,266
2	तोषण राशि	8,86,01,266
3	जीवन यापन अनुदान	36,000


द्विविजनल कमिश्नर
जोधपुर

4	विस्थापन परिवहन राशि	50,000
5	प्रभावित कुटुंब की श्रेणी में पुनर्स्थापन राशि	50,000
6	खडी फसल व पेडो की मुआवजा राशि	10,00,000
कुल मुआवजा राशि		17,83,38,532
7	क्लेम प्रार्थना पत्र में कुल मुआवजा राशि 17,77,10,532/-रूपये पर प्रारंभिक अधिसूचना की तिथी से भुगतान तक 12% वार्षिक ब्याज दर से ब्याज की राशि का भुगतान करना उल्लेखित किया है।	

प्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 18.04.2023 को माननीय राज० उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल मिस अपील सं० 917/2011 में पारित निर्णय दिनांक 17.11.2015 एवं एस.बी.सिविल मिस अपील सं० 2994/2009 में पारित निर्णय दिनांक 06.02.2014 की प्रतियां न्यायिक दृष्टांतों के रूप में प्रस्तुत की गईं, जिनका सहसम्मान अवलोकन किया गया, परंतु यह न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण में लागू नहीं होते हैं।

अप्रार्थी सं० 1 से 4 (रेलवे) के अधिवक्ता द्वारा महाप्रबंधक/सिविल, डी.एफ.सी.सी.आई. एल. अजमेर की ओर से दिनांक 07.09.2021 को प्रस्तुत जवाब क्लेम/प्रारंभिक आपत्तियों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह निवेदन किया गया कि :-

1. प्रार्थीयागण द्वारा क्लेम, रेल अधिनियम, 1996 की धारा 20(च) के खण्ड 06 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जबकि इस नामक कोई अधिनियम नहीं होने से क्लेम अस्तित्वहीन होने से खारिज योग्य है।
2. रेलवे अधिनियम, 1989 प्रभावी रहने के दौरान भारत सरकार द्वारा रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 पारित कर, संशोधित अधिनियम की धारा 3 द्वारा मूल रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20 के पश्चात धारा 20ए से 20पी रेलवे विभाग की विशेष रेल परियोजनाओं बाबत भूमि अवाप्ति हेतु जोड़ी गई है।
3. क्लेम प्रार्थना पत्र में अधिसूचना एवं उसके प्रकाशन के संबंध में यह स्पष्ट किया कि रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ए की अधिसूचना दिनांक 24.08.2017 को जारी की गई, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 28.08.2017 को प्रकाशित हुई, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 08.09.2017 को प्रकाशन करवाया गया। तत्पश्चात धारा 20ई की अधिसूचना दिनांक 15.02.2018 को जारी की गई, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 16.02.2018 को प्रकाशित हुई, जिसका सक्षम प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 28.02.2018 को प्रकाशन करवाया गया।

विधिजनल कमिश्नर
जोधपुर

4. रेलवे अधिनियम, 1989 (विद्यमान मूल मय संशोधन) की धारा 20एफ के प्रावधानों के अनुसार केवल मात्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि, पक्षकार को स्वीकार्य नहीं होने पर मध्यस्थ से राशि निर्धारित करवाने हेतु क्लेम प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार है, ना कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित/जारी अभिनिर्णय (अवार्ड) को चुनौति देने का। क्लेम याचिका अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जो विधि विरुद्ध होने से खारिज योग्य है।
5. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(एफ)(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि स्वीकार्य नहीं होने की स्थिति में, पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर राशि का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा विहित प्रक्रियानुसार निर्धारित करने का प्रावधान है। जबकि उक्त क्लेम में प्रार्थीयागण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को स्वीकार नहीं करने या सविरोध स्वीकार करना वर्णित नहीं है। इस प्रकार जब प्रार्थीयागण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ली गई है, तो रेलवे अधिनियम की उक्त धारा के तहत प्रार्थीयागण का यह क्लेम प्रार्थना पत्र, कोई वाद कारण नहीं होने तथा विधि द्वारा बाधित होने से खारिज योग्य है।
6. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(एफ)(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्त की गई भूमि के संबंध में निर्धारित राशि पक्षकार को स्वीकार्य नहीं होने पर, पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर मध्यस्थ द्वारा राशि निर्धारण किये जाने का विधिक प्रावधान है, ना कि अवाप्त नहीं की गई भूमि के संबंध में राशि निर्धारित करने का। प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत क्लेम में उसकी अवाप्त नहीं की गई भूमि अर्थात् उल्लेखित खसरान की संपूर्ण भूमि की राशि के निर्धारण हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो विधि विरुद्ध होने से सव्यय खारिज योग्य है।
7. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण/अवाप्तिधीन भूमि के हितबद्ध व्यक्तियों से दावे आमंत्रित किये गये थे। पारित अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 अनुसार प्रार्थीयागण द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उल्लेखित खसरा नं० 1802 एवं 1803 की भूमि के संबंध में दावे पेश किये गये थे। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीयागण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर, विधिनुसार निस्तारण किया गया। किसी कृषि भूमि का स्थानीय निकाय के मास्टर प्लान में आवासीय आ जाने मात्र से वह कृषि भूमि आवासीय भूमि में परिवर्तित नहीं हो जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत गठित संयुक्त माप समिति की रिपोर्ट तथा उपलब्ध दस्तावेज व राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थीयागण के खसरा नं० 1802 एवं 1803 की भूमि को सिंचित कृषि भूमि प्रमाणित मानकर, विनिश्चय के उपरांत मुआवजा राशि निर्धारित की गई है, जो उचित है। क्योंकि प्रार्थीयागण-आपत्तिकर्ता द्वारा सक्षम



(Handwritten signature)
विविजनल कमिश्नर
जोधपुर

प्राधिकारी के समक्ष उक्त खसरान के निकट भूमियों के कोई रजिस्टर्ड बेचाननामें प्रस्तुत नहीं किए गये, जो बेचाननाम प्रस्तुत किए वह उक्त खसरान की भूमि से बहुत दूर की भूमि के थे। प्रार्थी की भूमि स्थानीय निकाय द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरित नहीं है तथा इसके एकदम निकट राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय कॉलोनी नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीयागण द्वारा उक्त खसरान की भूमि के आवासीय भूमि में रूपांतरण हेतु कोई कार्यवाही करने के संबंध में किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गये। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थीयागण के क्लेम में उक्त खसरान की भूमि के आवासीय प्रयोजनार्थ रूपांतरण की कार्यवाही संबंधी उल्लेखित तथ्य मिथ्या प्रस्तुत किए गये हैं। अतः प्रार्थीयागण द्वारा प्रचलित बाजार दर 904/—रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से उल्लेखित दोनों खसरान की संपूर्ण भूमि की कुल कीमत राशि 17,77,10,532/—रूपये की मांग करना बहुनियामक एवं अनुचित है।

8. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20ए के तहत जारी अधिसूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरांत सक्षम प्राधिकारी ने प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण किया जाकर धारा 20ए के अनुक्रम में धारा 20डी की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात प्रार्थीयागण सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दावे/आपत्ति के विपरित, अवाप्तिधीन भूमि के अतिरिक्त उल्लेखित खसरान की समस्त भूमि का मुआवजा प्राप्त करने हेतु मांग/क्लेम प्रस्तुत करने की विधिक अधिकारी नहीं है। प्रार्थीयागण द्वारा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दावे/आपत्ति में वर्णित तथ्यों का निस्तारण/विनिश्चय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20डी के तहत किया जा चुका है, जिसके अनुसार उल्लेखित ख०नं० 1802 एवं 1803 की शेष भूमि कृषि योग्य है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 20डी के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम है। इस प्रकार प्रार्थीयागण द्वारा उल्लेखित खसरा नं० 1802 एवं 1803 के संपूर्ण क्षेत्रफल कुल 3.12 बीघा भूमि (0.9105 हैक्टेयर) के मुआवजे की मांग/क्लेम करना, विबन्ध के सिद्धान्त से बाधित होने से खारिज योग्य है।

9. सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीयागण के उल्लेखित ख०नं० 1802 में से अवाप्तशुदा 0.1937 हैक्टेयर भूमि का राशि 10,69,834/—रूपये तथा ख०नं० 1803 में से अवाप्तशुदा 0.1583 हैक्टेयर भूमि का राशि 8,74,315/—रूपये का विधिनुसार मुआवजा निर्धारित किया गया। प्रार्थीयागण द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का निर्धारित उक्त मुआवजा राशि बाबत कोई विवाद क्लेम में वर्णित नहीं किया है।

10. रेलवे अधिनियम, 1989 के चैप्टर IV-A (प्रचलित धारा 20ए से 20पी) के तहत विशेष रेल परियोजना हेतु भूमि अवाप्त करने के मामलों में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में



विवाद निवेदन कमिश्नर
जायपुर

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे आगे अधिनियम, 2013 के नाम से संबोधित किया जायेगा) लागू नहीं होता है। द्वितीयतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा उल्लेखित खसरान की सिंचित कृषि भूमि में से अवाप्त की गई ख०नं० 1802 की 0.1937 हैक्टर भूमि एवं ख०नं० 1803 की 0.1583 हैक्टेयर भूमि का मूल्य क्रमशः 5,12,588/-रूपये एवं 4,18,909/-रूपये पर रेलवे अधिनियम, 1989 व रेल मंत्रालय द्वारा जारी Entitlement Matrix, 2015 के अनुसार अवाप्त भूमि के उक्त मूल्य पर 100 तोषण (सोलेशियम) क्रमशः 5,12,588/-रूपये एवं 4,18,909/-रूपये दिया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा "गठित संयुक्त माप समिति" की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरान की अवाप्त भूमि में कोई परिवार प्रभावित/विस्थापित नहीं हुआ है। इसलिए Entitlement Matrix, 2015 के अनुसार भी जीवन यापन हेतु कोई अनुदान एवं विस्थापन परिवहन राशि प्रदान नहीं की जा सकती। प्रकरण में रेलवे अधिनियम की धारा 20ए के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से अवार्ड पारित होने की दिनांक तक 12% वार्षिक ब्याज का भुगतान विधिनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान कर दिया गया है। जिसका स्पष्ट विवरण अवार्ड एवं संलग्न क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण पत्रक (परिशिष्ट अ, अ(1), अ(2), ब, स, द- पृ०सं० 1 से 13 तक) में अंकित है।

11. रेलवे अधिनियम, 1989 के चैप्टर IV-A के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त करने हेतु विधिनुसार विभिन्न विशेषज्ञों की "संयुक्त माप कमेटी" गठित की गई थी। जिसमें क्षेत्रीय वन अधिकारी पिण्डवाडा तथा सहायक निदेशक उद्यान पाली भी सम्मिलित थे। उक्त कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार उल्लेखित खसरा नं० 1802 एवं 1083 में से अवाप्तशुदा भूमि पर कोई पेड़ नहीं थे, इसलिए प्रार्थीयागण कोई मुआवजा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है और ना ही कोई मुआवजा प्रदान किया जा सकता है। अतः प्रार्थीयागण का यह कथन कि इस मद पेटे राशि 10,00,000/-रूपये की मांग/क्लेम करना, गलत साबित होता है।

12. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित अभिनिर्णय दिनांक 31.05.2018 विधि अनुरूप होने से, प्रार्थी द्वारा क्लेम के पद सं० 12 के उप पद सं० 1 से 6 (निर्णय की सारणी में अंकित) में वर्णित कोई भी मुआवजा राशि एवं अनुतोष विधिनुसार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा गलत, मिथ्या एवं बेबुनियाद तथ्य वर्णित कर भूमि की कुल कीमत 8,86,01,266/-रूपये, तोषण राशि 8,86,01,266/-रूपये, जीवन यापन अनुदान राशि 36,000/-रूपये, विस्थापन परिवहन राशि 50,000/-रूपये, पुनर्स्थापन पेटे 50,000/-रूपये, फसल व पेड़ों के 10,00,000/- रूपये तथा कुल मुआवजा राशि पर 12% ब्याज का शपथ पत्र से समर्थित,

विधिक प्रावधानों के विपरित एवं बेबुनियाद होने के कारण विशेष हर्जे के साथ खारिज

द्विविजनल कनिष्ठ
जोधपुर

करने तथा प्रार्थी के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में कार्यवाही किए जाने का आदेश फरमाने का आग्रह किया गया।

अप्रार्थी सं० 5-सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा रेकॉर्ड सहित उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी सं० 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत जबाब क्लेम/प्रारंभिक आपत्तियों को विधि अनुकूल होना बताते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत क्लेम को खारिज करने का आग्रह किया गया।

हमने उपरोक्त क्लेम प्रकरण में दोनो पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा किए गये अभिकथनों पर मनन किया एवं पत्रावली एवं रेकॉर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया,

जिसके सारांशतः यह पाया जाता है कि :-

1. उक्त अभिनिर्णय (अवार्ड) रेलवे अधिनियम, 1989 (विद्यमान मूल मय संशोधन 2008) की धारा 20एफ के प्रावधानों के तहत भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा विशेष रेल परियोजना पश्चिमी डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन व प्रचालन के लिए जिला सिरोही में तहसील पिण्डवाडा के ग्राम पिण्डवाडा-I में भूमि अधिग्रहण हेतु भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खण्ड 3 उपखण्ड (II) संख्या 246 दिनांक 08.02.2011 में जारी रेल मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 286(अ) दिनांक 08.02.2011 के क्रम में सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाडा, जिला सिरोही द्वारा पारित किया है।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्ताधीन भूमि, भवनों, संरचनाओं, पेड़ों व फसलों के वास्तविक माप एवं सत्यापन हेतु जरिये पत्रांक 4384 दिनांक 04.10.2017 द्वारा गठित संयुक्त माप समिति में तहसीलदार पिण्डवाडा को सर्वे टीम प्रभारी, डी.एफ.सी.सी.आई.एल. द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि एवं तकनीकी अधिकारी को सर्वे सहायक, सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग पिण्डवाडा को भवनों एवं संरचनाओं के मूल्यांकन हेतु, क्षेत्रीय वन अधिकारी वन विभाग पिण्डवाडा को अवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावित पेड़ों के मूल्यांकन हेतु, सहायक निदेशक उद्यान पाली को अवाप्ताधीन भूमि पर प्रभावित फलदार वृक्षों के मूल्यांकन हेतु एवं हल्का पटवारी व संबंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को भूमि का निरीक्षण सर्वेक्षण माप चौख एवं खातेदारों के नामों का सत्यापन हेतु नामित किया गया।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिनिर्णय पारित करने से पूर्व भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20एफ की उपधारा 5 के अन्तर्गत प्रभावित पक्ष को दिनांक 26.04.2018 तक व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिकर से संबंधित दावों को सुना जाकर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत दावों को सुना जाकर


डिविजनल कमिश्नर
जोधपुर

तदनुसार अभिनिर्णय करते समय ध्यान रखा गया, जिसका विस्तृत विवरण अभिनिर्णय में एवं मुआवजे का विवरण, क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण पत्रक में उल्लेखित है।


4. प्रार्थीयागण द्वारा क्लेम में उल्लेखित कि उनके द्वारा अपनी भूमि के आवासीय उपयोग हेतु रूपांतरण के लिए नगरपालिका पिण्डवाड़ा में वर्ष 2016 में आवेदन किया था, जिसमें न०पा० द्वारा कार्यवाही प्रारंभ कर दिनांक 12.10.2016 को लोक सूचना जारी कर, इसका प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक राष्ट्रदूत जालोर संस्करण में दिनांक 26.10.2016 किया गया, इसके समर्थन में ऐसा कोई तथ्य अथवा दस्तावेजी सबूत समक्ष प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दावे में तथा हस्तगत क्लेम प्रार्थना पत्र के संलग्न प्रस्तुत नहीं किये जाने से, उक्त तथ्य प्रमाणित नहीं है।
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 की धारा 20(ए) के तहत आमंत्रित आपत्तियों के समय एवार्ड में वर्णितानुसार प्राप्त आपत्तियां सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 20(डी)(2) के तहत निर्णित कर दी गई थी और धारा 20(डी)(3) के तहत अन्तिम हो चुकी है। उसके विरुद्ध प्रार्थीयागण द्वारा सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी के अन्तिम निर्णय अनुसार अवाप्त नहीं की गई भूमि के संबंध में श्रीमान मध्यस्थ महोदय को कोई भी राशि निर्धारित करने का या भूमि को अवाप्त करने के आदेश पारित करने का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।
6. प्रार्थीयागण द्वारा प्रस्तुत क्लेम में उल्लेखित तथ्यों का विनिश्चय अभिनिर्णय के पृष्ठ संख्या 5-7 के क्रम संख्या 4 पर, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे के संक्षिप्त विवरण एवं उस पर लिया गया निर्णय के कॉलम में उपलब्ध है। उक्त अभिनिर्णय भारतीय रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008 एवं भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों एवं रेल मंत्रालय द्वारा जारी Entitlement Matrix, 2015 के नियमानुसार किये जाने का उल्लेख है। इस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के दावे/क्लेम का उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर विधिक रूप से पूर्व में ही निस्तारण कर अभिनिर्णय पारित जाना प्रकट है।
7. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 20(एफ)(6) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि स्वीकार्य नहीं होने की स्थिति में, पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर राशि का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा विहित प्रक्रियानुसार निर्धारित करने का प्रावधान है। जबकि उक्त क्लेम में प्रार्थीयागण ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि को स्वीकार नहीं करने या सविरोध स्वीकार करना वर्णित नहीं है। इस प्रकार जब प्रार्थीयागण ने सक्षम

प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ली गई है, तो रेलवे अधिनियम की उक्त धारा के तहत प्रार्थीयागण का यह प्रार्थना पत्र, कोई वाद कारण नहीं होने तथा विधि द्वारा बाधित होने से खारिज योग्य है।

अतः उपर्युक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रस्तुत क्लेम प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से, तदनुसार खारिज किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा (सिरोही) द्वारा पारित अभिनिर्णय क्रमांक: 864-65 दिनांक 31.05.2018 एवं क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण पत्रक के पृष्ठ सं० 2, क्रम सं० 4 व 5 के कॉलम संख्या 12 में अंकित प्रार्थीयागण को ख०नं० 1802 एवं 1803 में से अवाप्तशुदा भूमि बाबत अभिनिर्णित, हिस्सा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि क्रमशः 10,69,834/-रूपये तथा 8,74,315/- उचित एवं विधिसम्मत होने से अहस्तपक्षेनीय है।

निर्णय आज दिनांक 12 जुलाई, 2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।





(कैलाश चन्द मीना)
मध्यस्थ एवं
डिस्ट्रिक्ट जजल कमिश्नर
जोधपुर

क्रमांक: सं.आ./जोधपुर/आर्बीट्रेटर/2023/316-317

दिनांक 17.07.2023

प्रतिलिपी :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

1. मुख्य परियोजना प्रबन्धक/महाप्रबन्धक(सिविल), डी.एफ.सी.सी.आई.एल. (भारत सरकार), 42ए/3 सिविल लाईन, अजमेर (राज०)।
2. सक्षम अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा जिला सिरोही।


(कैलाश चन्द मीना)
मध्यस्थ एवं
डिस्ट्रिक्ट जजल कमिश्नर
जोधपुर